



Neutral Citation No.- 2025:AHC:9279

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या - 19787/2025

सर्वेश कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मदन मोहन, परमेश्वर यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सीएससी

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री परमेश्वर यादव और राज्य -प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 16.01.1999 को मौसमी संग्रह चपरासी (अनुसेवक) के पद पर नियुक्त किया गया था, हालांकि उनकी सेवा में अंतराल हैं। याचिकाकर्ता मौसमी संग्रह चपरासी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने और नियमितीकरण के लिए राहत चाहता है।
3. इस याचिका में प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या द्वितीय प्रतिवादी, जिला मजिस्ट्रेट, औरैया, जिला औरैया द्वारा निपटारा किया जाना चाहिए।
5. इस निवेदन पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. विरोधी पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता द्वितीय प्रतिवादी के समक्ष याचिका की स्व - सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। द्वितीय प्रतिवादी इसे प्राप्त

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होने पर दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय कानून के अनुसार , आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर करेगा। यदि द्वितीय प्रतिवादी का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

7. यह कहना अनावश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया है। अतः , इस आदेश को पारित करना यह नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

14 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।